न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

बंधित वाव विकास समिति .... बनाम यू0आई0टी अजमेर / ए0डी0ए0 व अन्य
तहसीलदार अजमेर व

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निग0 यूआईटी/ सं0.194/2018 (2018/00194) अधि0निग0–श्री लेखू मंघानी अधि0गैर निग. श्री हेमन्त विजयवर्गीय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-19	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेडा द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प–1 (32) नविवि//1984–पार्ट जयपुर दिनांक 31.12.2018 के द्वारा श्री हेडा के त्याग पत्र को स्वीकार किया जाकर अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशो तक संभागीय आयुक्त, अजमेर को दिया गया है। राज्य सरकार के इन आदेशो की पालना मे संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 02.01.2019 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यग्रहण (Assume) किया गया है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दर्ज प्रकरणो मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार पीठासीन अधिकारी के नाते संभागीय आयुक्त, अजमेर को होने से तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ संभागीय आयुक्त अजमेर के पास अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अध्यक्ष का कार्यभार होने के कारण, ऐसी स्थिति मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर प्रकरणो मे सुनवाई किए जाने/नही किए जाने/अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने बाबत प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार से संभागीय आयुक्त कार्यालय के पत्रांक 1176 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया। राजस्व विभाग के पत्रांक प–2 (8) राज–1 / 2009 दिनांक 22.05.2019 (प्राप्ति दिनांक 27.06.2019) से प्राप्त मार्ग दर्शन एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन ऐसे सभी प्रकरण जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर हुए हैं, संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश कमांक 132 दिनांक 24.7.19 के द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं । यह आदेश आगामी आदेशों तक अथवा अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का कार्यभार संभागीय आयुक्त अजमेर के पास रहने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी होगें । अतः आदेश कमाक 132 दिनांक 24.7.2019 के अनुसरण में यह प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु जिला कलक्टर अजमेर को स्थानान्तरित किया जाता है । प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 12.12.19 की नियत है। अतः नियत दिनांक को उभय पक्षकारान /अधिवक्ता उभय पक्षकारान जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष उपस्थित हों । संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.26 12:09:40 IST
Reason: SelfAttested